[illegible]यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

[illegible]-पत्र संख्या –125 / 2021 — दायर दिनांक 24.08.2021

[illegible]S NO:- 2021/245

[illegible] अधिकारी –श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामफूल आ0 सोराम कौम मीना निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र:– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ।

निर्णय दिनांक 21.03.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम गंभीरा पटवार मण्डल गंभीरा तहसील नैनवां राजस्थान की जमाबन्दी समवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 326 पुराना 284 के अनुसार खसरा संख्या 1134 रकबा 1.8122 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है। यह कि जमा बंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 1 पुराना 1 के अनुसार खसरा संख्या 1130 रकबा 0.5663, खसरा संख्या 1131 रकबा 0.4611 हैक्टयर, खसरा संख्या 1132 रकबा 0.0647 हैक्टयर सिवाय चक भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1134 के लगवा खसरा संख्या 1132 किस्म गै0मु0 रास्ता है लेकिन उक्त रास्ते पर काफी मकान आदि बन चुके है और वर्तमान में आबादी बसी हुई है। उक्त रास्ता काफी वर्षो पहले ही बन्द हो चुका था। प्रार्थी अपने खातेदारी की उक्त भूमि में गंभीरा से समीधी जाने वाली आम सड़क के दक्षिण ओर खसरा संख्या 1130, 1131, 1132 की भूमियों में होता हुआ नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित रास्ते से आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का नहीं है। मौके का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। यह कि नियमानुसार देय प्रतिकर की राशि भी वादीगण राजकोष में जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1134 के खेत पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। मौके की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 1130 किस्म गै0मू0 नाला के ऊपर से उत्तर दिशा में सड़क निकली हुई है जो रिकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी के इस सड़क के खसरा संख्या 1130 (गै0मु0 नाला), 1131 (सिवायचक) एवं खसरा संख्या 1132 गै0मु0 रास्ते से होकर रास्ता दिया जा सकता है। यह रास्ता प्रार्थी के खसरा संख्या 1134 की पश्चिमी मेड पर निकलेगा जिसे प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा इस नकल में लाल स्याही से दर्शा कर संलग्न किया जाकर पेश है।

प्रस्तावित रास्ते का विवरण :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	किस्म	लम्बाई X चौड़ाई [illegible]	माप
1.	1130	गै0मु0 नाला	4 X 2=8 वर्ग गटठा	[illegible] वर्ग फिट
2.	1131	सिवाय चक	13 X 2=8 वर्ग गटठा	1133 वर्ग फिट
3.	1132	गै0मु0 रास्ता	4 X 2=8 वर्ग गटठा	349 वर्ग फिट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:34:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र अधित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:34:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner